महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल एंव अन्य

बनाम

दीनाममा सैनुएल

12 दिसंबर 2007

[डॉ अरिजीत पासायत और पी. सतशिवम, जे.जे.]

सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969:

आर.19-: नियम 19 के संदर्भ में कर्मचारी को इस्तीफा देने की अनुमति दी गई है। पेंशन के लिए दावा-उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। पात्रता के प्रश्न पर अधिकारियों को विचार करना है। यदि कर्मचारी उसके फैसले के विरुद्ध कोई शिकायत है तो वह कानून में उपलब्ध उचित उपचार प्राप्त कर सकती है।

उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए विभाग द्वारा तत्काल अपील दायर की गई थी, जिसके तहत उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अधिकारियों को प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन को निपटाने का निर्देश दिया- कर्मचारी का दावा है कि उसे सीमा सुरक्षा नियम 1969, के नियम 19 के तहत पद त्याग की अनुमति थी, जिसके तहत वह पेंशन की हकदार है।

अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया कि प्रत्यर्थी पेंशन के लिए पात्र नहीं थी क्योंकि उसने सेवा के केवल 18 वर्ष और तीन महीने पूरे किए थे।

अपील का निपटारा करते हुए न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि पात्रता के प्रश्न पर विचार करना अपीलकर्ताओं पर निर्भर है। पात्रता के बारे में न तो एकल न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय के खण्डपीठ ने निर्णय लिया।

सिर्फ इतना ही निर्देश दिया गया कि अभ्यावेदन पर विचार किया जाये। अपीलकर्ताओं को यह स्वतंत्रता थी कि प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन को पात्रता के मुददे पर निरस्त किया जा सकता था। यदि प्रतिवादी को इस तरह की अस्वीकृति से कोई शिकायत है, तो वह कानून में उपलब्ध उचित उपचार कर सकती है। [पैरा 6 और 7] [467-डी, ई, एफ]

भारत संघ बनाम राकेश कुमार आदि **[2001] 2 एससीआर 927, पर भरोसा किया।**

जोस, बनाम सीमा सुरक्षा बल, **(1999) 3 केएलटी 904, उद्धृत**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं 928 वर्ष 2002

केरल उच्च न्यायालय के एर्नाकुलम में रिट अपील संख्या 1588/ 2000 के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 30.8.2000 के विरुद्ध।

अपीलार्थियों की ओर से सुनीता शर्मा और सुषमा सूरी।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य बनाम दीनम्मा सैनुएल [2007] इंएससी 1269 (12 दिसंबर 2007) डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम डॉ. अरिजीत पसायत, जे: अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना गया। इस अपील में चुनौती केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के उस फैसले को दी गई है, जिसमें अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया गया था। रिट अपील में चुनौती 2000 के ओपी नंबर 4287 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दी गई थी। उच्च न्यायालय ने यह मानने के लिए पूर्व के कुछ निर्णयों पर भरोसा किया कि सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के नियम 19 के तहत इस्तीफा देने वाला व्यक्ति (संक्षेप में 'नियम') यदि वह पात्र है तो वह पेंशन का हकदार है। रिट अपील खारिज कर दी गई और अपीलकर्ताओं को जॉस बनाम सिमासुरज्ञानल (1999) 3 केटीएल 904 के निर्णय के के आलोक में प्रत्यर्थी के अभ्यावेदन का निपटान करने का निर्देश दिया गया, विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में उत्तरदाताओं को एक निर्धारित सीमा के भीतर अपीलकर्ता के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया था।

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थी पेंशन के लिए पात्र नहीं था क्योंकि उसने केवल 18 वर्ष और तीन महीने

की सेवा पूरी की थी। इस न्यायालय के सिविल अभिलेख सं0 6166/1999 निर्णय दिनांक 30.03.2021 एवं संबंधित केसों पर मजबूती से निर्भर है।

4. इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि परिणामस्वरुप प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील के तर्क में कोई दम नहीं है कि सीसीएस (पेंशन) नियमों के नियम 49 के आधार पर या जी.ओ. के आधार पर। प्रत्यर्थी 10 साल की अर्हक सेवा पूरी करने के बाद लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति द्वारा 20 साल की अर्हक सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे पेंशन लाभ पाने के हकदार हैं। *जिन प्रत्यर्थियों कोसेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले या नियमों के तहत आवश्यक वर्षों की सेवा करने से पहले बीएसएफ नियमों के नियम 19 के तहत सेवा से इस्तीफा देने की अनुमति दी गई थी। **B** सीसीएस (पेंशन) नियमों के किसी भी प्रावधान के तहत कोई भी पेंशन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।* नियम 49 केवल पेंशन राशि की गणना और पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। दिनांक C 27.12.1995 का जी.ओ. बीएसएफ कर्मचारी को पेंशन का अतिरिक्त अधिकार प्रदान नहीं करता है।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

5. नोटिस की तामील के बावजूद प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हुई है।

6. इस न्यायालय द्वारा जो कहा गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, पात्रता के प्रश्न पर विचार करना अपीलकर्ताओं पर निर्भर है। पात्रता के बारे में न तो विद्वान एकल न्यायाधीश और न ही खण्डपीठ ने कोई निर्णय

किया। सिर्फ इतना ही निर्देश दिया गया कि अभ्यावेदन पर विचार किया जाए।

7. अपीलकर्ताओं के लिए यह स्वतंत्रता थी कि वे पात्रता के मुद्दे पर निर्णय लेकर अभ्यावेदन को अस्वीकार कर सकते थे। यदि प्रतिवादी को इस तरह की अस्वीकृति से कोई शिकायत है, तो वह कानून में उपलब्ध उचित उपचार कर सकती है। इसलिए, हम अपील का निपटारा यह कहते हुए करते हैं कि यदि अभ्यावेदन तीन महीने से लम्बित है तो पात्रता का प्रश्न तय करते हुए अभ्यावेदन का निपटारा कर दिया जाए। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रत्यर्थी को कोई शिकायत है, तो वह उचित मंच के समक्ष इसे उठा सकती है।

8. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है। कोई व्यय नहीं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी आरिफ मोहम्मद खान छायल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।